** By Akash Kumar Sir**

Constitutional Development of India

- संविधान (Constitution) वह वैधानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता के विश्वास व उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करती है। भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासन काल में ही पड़ चुकी थी परन्तु इसके क्रमिक विकास की गति इस काल में बहुत मंद थी।
- भारत के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं :
  1. ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के अन्तर्गत, और
  2. ब्रिटेन की सरकार के शासन के अन्तर्गत।
- जिस समय तक (1858 ई०) ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर विभिन्न कानून (Acts) अथवा आदेश-पत्र (Company's Charters) जारी करके कम्पनी के शासन पर नियन्त्रण रखती रही और जब उसने स्वयं भारत के शासन को अपने हाथों में लिया तब भी उसने भारत के शासन के लिए विभिन्न कानून बनाये। उन सभी आदेश-पत्रों और कानूनों को हम भारत के संवैधानिक विकास में सम्मिलित करते हैं। यथा :

1600 ई. का राजलेख (चार्टर)

- भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के साथ प्रारम्भ होता है। यह कार्य एक राजलेख के माध्यम से किया गया, जिसे सन् 1600 ई. का राजलेख कहा गया। इस

परीक्षा दृष्टि

- भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया है?
  -1600 ई0 के चार्टर एक्ट के तहत
- महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था?
  - लार्ड मेयर
- आंग्ल-भारतीय विधि-संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नीव कहाँ से प्रारम्भ होती है?
  -1600 ई0 के चार्टर से
- इंग्लैण्ड स्थित कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया?
  - सन् 1726 के राजलेख (चार्टर) द्वारा
- किस अधिनियम द्वारा कम्पनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया?
  - 1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट

- राजलेख के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसम्बर, 1600 ई. को 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। स्थापना के समय कम्पनी की कुल पूँजी 30133 पौण्ड थी तथा इसमें कुल 217 भागीदार थे। इस कम्पनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया जिसके शिखर पर गवर्नर एवं उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। इसे 'गवर्नर और उसकी परिषद' की संज्ञा दिया गया। ध्यातव्य है कि बाद में इस परिषद को 'कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स' व 'निदेशक मण्डल' नाम से अभिहित किया गया।

1726 का राजलेख

- इस राजलेख द्वारा कोलकाता, मुम्बई तथा मद्रास प्रेसीडेन्सियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को 'विधि बनाने की शक्ति' प्रदान की गयी। इसके पहले यह शक्ति इंग्लैण्ड स्थित निदेशक मण्डल में निहित थी।

1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट

- तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री 'लार्ड नार्थ' द्वारा गठित 'गुप्त समिति' (Secret Committee) की सिफारिश पर (BPSC-94) पारित एक्ट को '1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट' संज्ञा दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य कम्पनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा कम्पनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना था। कम्पनी की गतिविधियों के दो मुख्य केन्द्र थे- 1. इंग्लैंड, 2. भारत
- कम्पनी के सम्पूर्ण प्रशासन के सुपरविजन हेतु इंग्लैण्ड में दो संस्थाएँ थी- 1. निदेशक मण्डल (Court of Directores), 2. स्वत्वधारी मंडल (Court of Proprietors)
- ये दोनों संस्थाएँ गृह सरकार की अंग थी। पूर्ववर्ती संस्था इंग्लैण्ड में कम्पनी की कार्यपालिका थी। इसमें 24 निदेशक होते थे। इनका चुनाव प्रतिवर्ष स्वत्वधारी मण्डल (Court of Proprietors) द्वारा किया जाता था। निदेशक मण्डल प्रतिवर्ष सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता था। अध्यक्ष कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था।
- अब इस एक्ट के तहत निदेशक मण्डल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर) की कार्यावधि एक वर्ष के स्थान पर चार वर्ष का कर दिया गया। साथ ही यह उपबन्धित किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कुल सदस्य संख्या (24) के एक-चौथाई (1/4) सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेगें। पुनश्च कम्पनी के निदेशक चुनने का अधिकार उन्हीं लोगों को होगा, जो कम से कम एक वर्ष पूर्व कम्पनी में 1000 पौण्ड के शेयर धारक रहे हों। ज्ञातव्य है कि इस ऐक्ट के पहले कम्पनी के निदेशक मण्डल का चुनाव कम्पनी के 500 पौण्ड के अंशधारियों द्वारा होता था।
- भारतीय परिपेक्ष्य में कम्पनी प्रशासन में बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी के प्रशासक को इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात् बंगाल (कलकत्ता) मुम्बई और मद्रास

प्रेसिडेंसियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र थीं, इस अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसीडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसीडेसिंयों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। * शासन की समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल तथा उसके चार सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया और निर्णय में बहुमत हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। 'वारेन हेस्टिंग्स' को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कार्यकारिणी परिषद के अन्य चार सदस्य थे- फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन एवं बरवैल ।

- अधिनियम के अधीन 1774 ई. में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। (UPPCS-98) सर एलिजाह इम्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य, चेम्बर्ज, लिमैस्टर एवं हाइड को न्यायाधीश बनाया गया। * यह एक अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध अपील प्रीवि कौंसिल में होती थी।
- इस अधिनियम के द्वारा, ब्रिटिश सरकार का कोर्ट आफ डायरेक्टर्स (कंपनी की गवर्निंग बाडी) के माध्यम से कम्पनी पर नियन्त्रण सशक्त हो गया। भारतीय राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना कम्पनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा कम्पनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किये निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया।*

ऐक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781

- रेग्यूलेटिंग एक्ट, 1773 में अन्तर्निहित गम्भीर व्यावहारिक दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंडबर्क के सुझाव के आधार पर इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इसे 'संशोधनात्मक अधिनियम' (Amending Act) या बंगाल जूडीकेचर एक्ट, 1781 की भी संज्ञा से अभिहित किया जाता है।*
- इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार अब कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के दो स्त्रोत प्राप्त हो गये। पहला, रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के अधीन वह कलकत्ता प्रेसीडेन्सी के लिए और दूसरा ऐक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दिवानी प्रदेशों के लिए विधि निर्मित कर सकती थी।
- सर्वोच्च न्यायालय के लिए आदेशों और विधियों के सम्पादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति-रिवाजों तथा परम्पराओं का ध्यान रखने का भी आदेश दिया गया।
- गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। * अर्थात् गवर्नर जनरल की परिषद् अब जो नियम बनाएगी, उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा।

- प्रान्तीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल की परिषद

परीक्षा दृष्टि

- गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के चार सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन-कौन से थे?
  फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मॉनसन एवं बरवैल ।
- गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थीं?
  - इंग्लैण्ड स्थित निदेशक बोर्ड (Board of Directors) के प्रति
- ईस्ट इण्डिया कम्पनी की प्रबन्धन शक्ति किसमें निहित थी?
  - गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में
- कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था?
  -1773 के रेग्यूलेटिंग एक्ट द्वारा
- उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था?
  - चार सदस्य; मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे।
- किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया
  रेग्यूलेटिंग ऐक्ट (1773)
- बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
  - वारेन हेस्टिंग्स
- रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773 के तहत् कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई।
  - 1774 ई. में
- ईस्ट इण्डिया कम्पनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया?
  रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा
- 1765ई0 को ऐंग्लो-इण्डियन इतिहास का 'युग प्रवर्तक काल' किसने कहा है?
  - इलबर्ट ने।
- के पास की जा सकती थी। पुनश्च 5000 पौंड या अधिक मूल्य के मामले सपरिषद ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जा सकते थे।
- सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया तथा स्थानीय नियमों को ध्यान में रखकर नए कानूनों को प्रवर्तित करने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेग्यूलेटिंग एक्ट के अनेक विवादों और कठिनाइयों को दूर कर दिया। इसका उद्देश्य सरकार को सुदृढ़ बनाना था। इसने राजस्व की समस्या का भी समाधान किया एवं राजस्व मण्डलों की स्थापना की। साथ ही

भारत में कानून बनाने और उनके क्रियान्वयन में भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक रीति-रिवाजों का उल्लंघन न करने की बात पर भी बल दिया गया।

पिट्स इण्डिया ऐक्ट, 1784 (Pitt's India Act of 1784)

- एक्ट ऑफ सेटलमेंट : 1781 की असफलता के बाद पिट्स का इण्डिया अधिनियम कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज (Crown) के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था; जिसका शीर्षक था- भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र।
- इस अधिनियम के प्रमुख तथ्य अधोलिखित हैं। यथा-
- इस एक्ट के माध्यम से कम्पनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रिया-कलापों को अलग-अलग कर दिया गया। * व्यापारिक क्रिया- कलापों को कम्पनी के निदेशकों के हाथों में यथावत रखते हुए

क्या आप जानते हैं? कि...

- रेग्यूलेटिंग ऐक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1783 में 'डण्डाज अधिनियम' और पुनश्च नवम्बर, 1783 में फॉक्स का भारतीय विधेयक लाया गया। * किन्तु उपरोक्त दोनों ही विधेयक पारित नहीं हो सकें। अतः फॉक्स द्वारा प्रस्तुत विधेयक के हाउस ऑफ लार्डस में पारित न होने के कारण लार्ड नार्थ एवं फॉक्स की गठबन्धन सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा। ध्यातव्य है कि किसी भारतीय विषय पर एक अंग्रेजी सरकार के पतन का यह प्रथम और अन्तिम दृष्टान्त है। तदोपरान्त पिट्स इण्डिया ऐक्ट 1784 लाया गया।
- राजनैतिक क्रिया-कलापों (सैनिक, असैनिक व राजस्व सम्बन्धी) के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैण्ड में एक 6 सदस्यीय 'नियंत्रक- मण्डल' (Board of Control) की स्थापना की गई। ध्यातव्य है कि Board of Control की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देशी नरेश के साथ संघर्ष आरम्भ करने अथवा सहायता का आश्वासन देने का अधिकार न था। इन सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया। 6 सदस्यों में से एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव तथा 4 व्यक्ति प्रिवी कौंसिल के सदस्य होते थे। इस प्रकार अब भारतीय उपनिवेश के दो शासक थे, प्रथम- कम्पनी का निदेशक बोर्ड, और दूसरा नियंत्रक- मण्डल के माध्यम से सम्माद। यह स्थिति 1858 ई० तक बनी रही।

परीक्षा दृष्टि

- किस ऐक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल को मुक्त कर दिया गया था

  -सन् 1781 के सेटलमेन्ट ऐक्ट द्वारा

- सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस ऐक्ट द्वारा समाप्त किया गया?
  -1781 के सेटलमेन्ट ऐक्ट
- सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ प्रदान की गई?
  - लार्ड कार्नवालिस को; 1786 के अधिनियम द्वारा
- किस अधिनियम द्वारा कम्पनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया?*
- पिट्स इण्डिया ऐक्ट 1784 द्वारा कम्पनी के कर्मचारियों पर उपहार लेनें पर प्रतिबन्ध कब लगा दिया गया?*
  - 1784 में (पिट्स इण्डिया ऐक्ट)
- कम्पनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ?
  1784 में पिट्स इण्डिया ऐक्ट द्वारा
- पिट्स इण्डिया ऐक्ट के तहत् निर्मित Board of Control का अध्यक्ष कौन होता था?
  ब्रिटिश मंत्रिमण्डल का एक सदस्य
- किस ऐक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई और इसे आगे आने वाले गवर्नरों के लिए भी विस्तृत किया गया?
  - चार्टर ऐक्ट 1793
- नियंत्रक मण्डल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया?
  1793 का राजलेख के तहत
- ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन- सा राजलेखप्रदान करता है?
  -1813 का राजलेख।
- 1813 ई. के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गयी थी?
  एक लाख रुपये
- भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया?
  - 1813 के चार्टर अधि. द्वारा
- किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गयी जिसमें से एक प्रान्त का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था?
  -1784 के पिट्स इण्डिया ऐक्ट द्वारा

- गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या चार से कम करके तीन कर दी गई। इस परिषद को भारत में प्रशासन यथा- सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति; प्रदान की गई।
- प्रान्तीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रान्त का सेनापति बनाया जाता था।
- केन्द्रीय शासन का अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रान्तीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया।
- भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यो पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैण्ड में एक कोर्ट की स्थापना की गई।
- इस एक्ट द्वारा कम्पनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। *
- इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कम्पनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया।

1786 का अधिनियम (Act of 1786)

- इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया (UPPCS-90) और साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। उक्त दोनों अधिकार सर्वप्रथम लार्ड कार्नवालिस ने प्राप्त किया।

1793 का चार्टर एक्ट (Charter Act of 1793)

- इस अधिनियम के माध्यम से कम्पनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया तथा अपनी परिषद् के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति जो लार्ड कार्नवालिस को दी गई थी, उसे आने वाले गवर्नर जनरलों तथा गवर्नरों को भी दे दी गई। इस ऐक्ट द्वारा नियंत्रक मण्डल (Board of Control) के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। * ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया।

1813 का राजलेख (Charter Act of 1813)

- कम्पनी के एकाधिकार को समाप्त करने, उस पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा इसाई मिशनरियों की भारत में और अधिक
- स्वायत्तता की माँग के मद्देनजर यह राजलेख पारित किया गया था। इस राजलेख द्वारा अधोलिखित प्रावधान किया गया। यथा- • इस चार्टर द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गयी (UP.UDA-02)*

- कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया,* किन्तु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाये रखा गया।
- भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबन्ध किया गया (BPSC-08)*
- स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। *
- ध्यातव्य है कि इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया और ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कम्पनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया।

1833 का राजलेख (Charter Act of 1833)

- 1813 के चार्टर अधिनियम के पश्चात, भारत में कम्पनी के साम्राज्य में काफी वृद्धि हुई, जिस पर समुचित नियन्त्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1814, 1823 तथा 1829 में

क्या आप जानते हैं?

- 'फोर्ट विलियम कॉलेज' कोलकाता में स्थित प्राच्य विद्याओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केन्द्र है, जिसकी स्थापना 10 जुलाई, 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा प्रदान करना था (IAS : 2021)। ध्यातव्य है कि इसके पहले प्राचार्य (प्रिंसिपल) गिलक्रिस्ट थे।
- 1833 के राजलेख के पूर्व निर्मित विधियों को विनियम कहा जाता था जबकि इस अधिनियम द्वारा निर्मित विधियाँ अधिनियम कहलाती थी। दूसरे शब्दों में भारत के गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा निर्मित विधि को अधिनियम कहा जाता था।
- 1853 का राजलेख भारतीय शासन (ब्रिटिश कालीन) के इतिहास में अन्तिम चार्टर (राजलेख) था।
- स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ और इसका अध्यक्ष एम.सी. सीतलवाड को बनाया गया, जो भारत के प्रथम महान्यायवादी भी थे। *
- अधिनियम द्वारा कम्पनी को कुछ अधिकार प्रदान किया; किन्तु ये अधिनियम वांछित सफलता न दे सके। अतः 1833 में तीसरा चार्टर अधिनियम पारित कर अधोलिखित प्रावधान किया गया। यथा-
- कम्पनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया।
- बंगाल के गवर्नर जनरल को सम्पूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। * इस प्रकार इस राजलेख द्वारा देश की शासन प्रणाली का केन्द्रीकरण कर दिया गया (IAS-03)।
- सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया; किन्तु नियंत्रक-मण्डल इस कानून को अस्वीकृत कर स्वयं कानून बना सकता था। गवर्नर जनरल की परिषद

परीक्षा दृष्टि

- **मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया?**
  -1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा
- **ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया?**
  1833 के राजलेख द्वारा
- **भारत का प्रथम गर्वनर जनरल कौन था?**
  - लार्ड विलियम वेंटिक
- **किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया?**
  -1833 के राजलेख द्वारा
- **अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेन्स भारत आने- जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गयी।**
  - 1833 ई. के अधिनियम के तहत
- **सर्वप्रथम भारत में शासन के केन्द्रीयकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखायी देता है?**
  -1833 के राजलेख में
- **दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया?**
  - 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। (1843 ई. के नियम पाँच से इस पर रोक लगा दी गयी।)
- **द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाने लगा। ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व निर्मित विधियों को विनियम कहा जाता था।**
- **बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि-निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया।***
- **विधिक परामर्श हेतु गर्वनर जनरल की परिषद में 'विधि सदस्य' के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया (LAS-03)। * उसे केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का नहीं।**
- **कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को (चाय तथा चीन के साथ व्यापार सहित) पूर्णतः समाप्त कर दिया गया* तथा कम्पनी को प्रशासनिक एवं राजनैतिक दायित्व सौंपा गया।**
- **विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करनें का प्राधिकार दिया गया। 1834 में लार्ड मैकाले की अध्यक्षता में चार सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ***
- **इस ऐक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा अन्ततः 1843 (नियम पाँच से) में उसका उन्मूलन कर दिया गया।***

- अधिनियम की धारा-87 के तहत् कम्पनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराये जानें का उपबन्ध किया गया।
- गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए, गवर्नर जनरल को सम्पूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया।
- इस राजलेख पर लार्ड मैकाले के साथ-साथ उपयोगितावादी चिन्तक जेरेमी बेन्थम एवं जेम्स मिल का विशेष प्रभाव पड़ा था।
- इन्हें भी जानें
- 1823 ई. में 'जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन' का गठन किया गया। इस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य सम्मिलित थे तथा लॉर्ड मैकाले को उक्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। समिति का उद्देश्य शिक्षा के लिए । लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान करना था। लार्ड रिपन द्वारा 1883 में प्रस्तुत विधेयक जिसमें, भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे यूरोपियों के मुकदमें की सुनवाई का अधिकार दिया गया था को इलवर्ट बिल कहा जाता है।
- भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय को परिषद द्वारा अधिक कुशलता से कार्य सम्पादन हेतु नियम बनाने की शक्ति दी गयी। वायसराय लार्ड कैनिंग ने विभिन्न विभाग भिन्न-भिन्त्र सदस्यों को दे दिये जो उसके प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार भारत में 'मंत्रिमंडलीय व्यवस्या' की शुरूआत हुई।
- 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय (Viceroy) कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति होता था। जब वह ब्रिटिश प्रान्तों का शासन देखता था तब गवर्नर जनरल तथा जब भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था तव वायसराय कहलाता था।
- 1833 ई. में संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) का लगभग संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसीडेंसी के अधीन कर दिया गया (UPPCS : 2021)।
- परीक्षा दृष्टि
- • लार्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। 1833 के अधिनियम के तहत
- सती प्रथा का अन्त किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया?
  - विलियम बैंटिंक द्वारा (1829 ई0 के 17 वें नियम के माध्यम से)
- किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालकीय एवं विधायी कृत्यों को पृथक कर दिया गया?
  -1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा

- भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त किस राजलेख द्वारा लागू किया गया? 1853 के राजलेख द्वारा
- विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया?
  - 1853 में
- कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया?
  -1853 के चार्टर अधिनियम
- भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत इस चार्टर में दिखाई देता है।

1853 का राजलेख

- 1853 का चार्टर अधिनियम भारतीयों द्वारा कम्पनी के प्रतिक्रियावादी शासन के समाप्ति की माँग तथा गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी द्वारा कम्पनी के शासन में सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट के सन्दर्भ में पारित किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधान अधोलिखित हैं। यथा-
- इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गयी। विधि निर्माण हेतु, भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय "विधान परिषद" (All India Legislative Council) की स्थापना की गयी। * विभिन्न क्षेत्रों व प्रान्तों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त लागू किया गया। *
- विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था किन्तु इस विधि को अधिनियम (Act) बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति (assent) आवश्यक थी। ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल वीटो (Veto) भी कर सकता था।
- बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेन्ट गवर्नर नियुक्त किया गया। *
- विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया।
- कम्पनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Examina- tion) को आधार बनाया गया* (BPSC-03)।
- ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कम्पनी के शासन को समाप्त करनें का अधिकार दिया गया।
- निदेशक-मण्डल के सदस्यों की संख्या 24 से कम कर 18 कर दी गयी। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किये जाने थे। यह राजलेख भारतीय शासन के (ब्रिटिश कालीन) इतिहास में अन्तिम चार्टर (राजलेख) था। उल्लेखनीय है कि इंग्लैण्ड में एक विधि आयोग का गठन, भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए किया गया।

भारत सरकार अधिनियम 1858

- लॉर्ड पामर्स्टन (Lord Palmerston) ने 12 फरवरी, 1858 ई० को भारत में दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए एक विधेयक संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया। किन्तु कतिपय कारणों से पामर्स्टन को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके पश्चात् लॉर्ड डरबी (Lord Derby) प्रधानमन्त्री बने। उनके काल में प्रस्तुत विधेयक 2 अगस्त, 1858 ई० को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद पारित हो गया। यह भारत शासन अधिनियम, 1858 कहलाया। जिसका उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना तथा साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था।
- भारत शासन अधिनियम 1858 के प्रावधान की प्रमुख बातें अधोलिखित थीं। यथा :
- इस कानून के द्वारा भारत का शासन कम्पनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। यह कार्य महारानी विक्टोरिया की एक राजकीय घोषणा द्वारा किया गया, जिसे भारत के प्रथम वायसराय लार्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवम्बर, 1858 को उद्घोषित किया।
- 'निदेशक मण्डल' (Court of Directors) और 'नियंत्रक मण्डल' (Board of Control) को समाप्त कर दिया गया तथा उनके समस्त अधिकार भारत-राज्य सचिव (Secretary of State for India) को दे दिये गये। भारत-सचिव अनिवार्यतः ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का सदस्य होता था।
- भारत-सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा - भारत-परिषद् (India Council)- की स्थापना की गयी। इसके 8 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटेन के क्राउन को तथा शेष 7 सदस्यों के चयन का अधिकार कम्पनी के डायरेक्टरों को दिया गया। परन्तु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक था कि 15 में से कम से कम 9 सदस्य ऐसे हों, जो कम से कम दस वर्ष तक भारत में सेवा-कार्य कर चुके हों तथा अपनी नियुक्ति के समय उन्हें भारत छोड़े हुए 10 वर्ष से अधिक समय न हुआ हो। शासन के इस भाग को (भारत- सचिव और भारत-परिषद् को सम्मिलित करके) गृह-सरकार (Home Government) का नाम दिया गया।
- भारत-सचिव, उसकी परिषद् के सदस्यों का वेतन व अन्य खर्चे भारतीय राजस्व से देने पड़ते थे। इस परिषद् का मुख्य कार्य भारत सचिव को भारत के शासन के कार्य में परामर्श और सहायता देना था। भारत-सचिव अपनी परिषद् के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता था, उनको पदच्युत करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को ही प्राप्त था।
- भारत-सचिव 'भारत-परिषद्' का अध्यक्ष होता था। इस परिषद के निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। इसमें भारत-मंत्री को

परीक्षा दृष्टि

- भारत में कम्पनी शासन का अन्त किस अधिनियम द्वारा किया गया?
  -1858 के अधिनियम द्वारा

- भारत में 1858 में कम्पनी शासन के अन्त के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की गयी?
  भारत मंत्री या भारत सचिव एवं 15 सदस्यीय भारत परिषद में।
- भारत परिषद के सदस्यों (15) की नियुक्ति कौन करता था?
  - 8 सदस्य सम्राट द्वारा तथा 7 बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त होते थे।
- भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया?
  - 1858 के अधिनियम द्वारा
- पिट्स इण्डिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित 'बोर्ड आफ डायरेक्टर्स' तथा 'बोर्ड आफ कन्ट्रोल' को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया ?
  -1858 के अधिनियम द्वारा
- किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया?
  -1858 के अधिनियम द्वारा
- भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्नाकार्टा कहा गया?
  - ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवम्बर 1858 की घोषणा को।
- भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरूआत किस अधि. द्वारा किया गया?
  - भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा।
- भारत में शासन के विकेन्द्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी ?
  - 1861 के अधिनियम द्वारा
- सामान्य मत देने का अधिकार था। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर समान मत होने की दशा में उसे एक अतिरिक्त मत या निर्णायक मत (Casting Vote) देने का भी अधिकार था। भारत सचिव को गवर्नर- जनरल (वाइसराय) के आवश्यक एवं गुप्त पत्र अपनी परिषद् को बिना बताये भेजने या प्राप्त करने का भी अधिकार था।
- अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत-सचिव, भारत-परिषद् की राय को मानने के लिए बाध्य था। अन्य सभी विषयों पर वह उसकी राय को ठुकरा सकता था। उसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी पड़ती थी।
- भारतीय गवर्नर-जनरल (वायसराय) को भारत-सचिव की आज्ञानुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। गवर्नर-जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा और इस कारण उसे वायसराय (Viceroy) भी कहा गया।
- भारतीय प्रशासन के अन्तर्गत पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट् ने सपरिषद् भारत सचिव तथा भारत स्थित उच्च पदाधिकारियों के मध्य विभाजित कर दिया।

- गवर्नर जनरल की परिषद के 'विधिक सदस्य' तथा 'एडवोकेट जनरल' की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाने लगी।
- 1861 में ही सर्वप्रथम 'जेम्स विल्सन' द्वारा भारत में बजट प्रस्तुत किया गया तथा 'भारतीय उच्च न्यायालय अधि०, 1861' व 'भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम, 1861 पारित किया गया।

भारतीय परिषद अधिनियम 1861 (The Indian Council Act, 1861)

- 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। * इस कानून द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति प्रारम्भ की जिसे 'सहयोग की नीति' (Policy of Association) या 'उदार निरंकुशता' (Benevolent Despotism) की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। क्योंकि इसके माध्यम से सर्वप्रथम 'भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से अधोलिखित व्यवस्थाएँ की गई थीं। यथा-
- गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नये प्रान्त के निर्माण का तथा नव निर्मित प्रान्त में गवर्नर या लेफ्टिनेन्ट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। उसे किसी प्रान्त, प्रेसीडेन्सी या अन्य किसी क्षेत्र को विभाजित करने, अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन का अधिकार प्रदान किया गया।
- अधिनियम द्वारा केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। पांचवें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। *
- केन्द्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक एवं तार, धर्म और स्वत्वाधिकार के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार से अधिक अधिकार प्रदान किया गया।
- 'भारत परिषद' को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश तथा भारतीय प्रजा, भारत सरकार के कर्मचारियों, भारतीय रियासतों तथा सम्राट के राज्य क्षेत्रों के अधीन रहने वाले व्यक्तियों, सभी स्थानों एवं वस्तुओं के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
- गवर्नर-जनरल को अपनी परिषद् (Council) में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार दिया गया जो सभी मनोनीत थे। ये सदस्य उसें कानून-निर्माण में सहायता करने के लिए थे। इनमें से कम से कम आधे सदस्यों का गैर-सरकारी होना आवश्यक था और इनका कार्यकाल दो वर्ष था। इन सदस्यों को कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखने का कोई अधिकार न था। गवर्नर-जनरल को इनकी राय को ठुकराने (veto) का पूर्ण अधिकार था।
- इस अधिनियम में वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके आधार पर वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में 'विभागीय प्रणाली' (Portfolio System) की शुरूआत की (IAS-02)। कैनिंग ने विभिन्न विभाग भिन्न-भिन्न सदस्यों को दे दिए, जो उस विभाग के प्रशासन

परीक्षा दृष्टि

- भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया?
  - भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत
- भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया था?
  - लार्ड कैनिंग ने।
- भारत में मंत्रीमण्डलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन हैं?
  - वायसराय लार्ड कैनिंग।
- किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला?
  - भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत।
- भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी?
  - भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा
- पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबन्ध कब किया गया?*
  मार्लेमिन्टो सुधार अधिनियम, 1909 द्वारा
- मार्ले-मिन्टो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया था?
  - सर अरून्डेल समिति
- फूट-डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम है?
  - भारत परिषद अधिनियम, 1909
- किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया ?
  - भारतीय परिषद अधि०, 1909 द्वारा।
- वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था?
  सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा को।
- के लिए उत्तरदायी होता था। इस प्रकार भारत में 'मंत्रिमंडलीय व्यवस्था' की नींव पड़ी। *
- गवर्नर जनरल भारत की शांति, सुरक्षा व ब्रिटिश हितों के लिए परिषद के बहुमत की उपेक्षा कर सकता था।
- गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश (Ordinance) जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया * (UPPCS-97)
- मद्रास एवं बम्बई की सरकारों को पुनः कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया।* ध्यातव्य है कि प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाया गया कानून गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद ही वैधता को प्राप्त होता था। बाद में इसी एक्ट के अधीन बंगाल, उत्तरी-पश्चिमी प्रांत (आधुनिक उत्तर प्रदेश) एवं पंजाब में क्रमशः 1862, 1886 एवं 1897 ई० में विधान परिषदों की स्थापना हुई।

- गवर्नर जनरल की परिषद सप्ताह में एक बार बैठक करती थी जिसकी अध्यक्षता वायसराय करता था।
- संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से 1861 ई0 का अधिनियम अत्यन्त महत्वपूर्ण था। इससे पहली बार विधि-निर्माण में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया क्योंकि प्रथम बार गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्त हुई थी। साथ ही इसके द्वारा बम्बई और मद्रास प्रान्तों को विधि-निर्माण करने की शक्ति पुनः प्राप्त हो गई। अन्य प्रान्तों में भी ऐसी विधान परिषदें स्थापित करने की व्यवस्था की गयी थी। अतः इस अधिनियम ने केन्द्रीयकरण के स्थान पर विकेन्द्रीकरण की नीति की शुरूआत की।

भारतीय परिषद अधिनियम 1892
(The Indian Council Act: 1892)

- 1857 में हुई राज्य क्रान्ति तथा शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ किया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना तथा इलवर्ट बिल विवाद के पश्चात भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में और अधिक प्रतिनिधित्व देने की माँग ने काफी जोर पकड़ लिया। जिसके फलस्वरूप यह अधिनियम पारित किया गया। इसके प्रमुख उपबन्ध अधोलिखित हैं। यथा-
- केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा के अतिरिक्त (नामजद) सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गयी। इनमें से 10 सदस्यों का गैर-सरकारी होना आवश्यक था।
- प्रान्तों में भी व्यवस्थापिका-सभा के गैर-सरकारी तथा कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गयी। बम्बई और मद्रास मेंन्यूनतम 8 और अधिकतम 20, बंगाल में अधिकतम 20 और उत्तर- पश्चिमी प्रान्त में यह संख्या अधिकतम 15 निश्चित की गयी।
- निर्वाचन पद्धति का आरम्भ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है।* प्रान्तीय परिषदों के गैर-सरकारी सदस्य नगरपालिका, जिलाबोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मण्डल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किये जाते थे। इन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता था।
- परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछनें का अधिकार दिया गया* (UP. UDA.-02)। किन्तु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछनें का अधिकार नहीं था।
- इस प्रकार 1892 ई0 का कानून 1861 ई0 के कानून से अधिक प्रगतिशील था। यद्यपि उस समय तक केन्द्र और प्रान्तों में सरकारी बहुमत रखा गया था, तथापि व्यवस्थापिका-सभाओं के भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई थी। सदस्यों के अधिकारों में भी कुछ वृद्धि हुई थी और सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गयी थी। परन्तु उक्त सुधार भारतीयों की उग्र राष्ट्रीयता की भावना को सन्तुष्ट न कर सका।

भारत परिषद् अधिनियम, 1909 ई. (The Indian Council Act : 1909 ई.)

- मार्ले-मिन्टो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। सरकार की मंशा थी कि साम्प्रदायिकता को भड़का कर उग्रवाद तथा क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद का दमन कर दिया जाय।
- इस अधिनियम को तत्कालीन भारत सचिव (मार्ले) तथा वायसराय (मिन्टो) के नाम पर मार्ले-मिन्टो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। सर अरुण्डेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया था।*
- इस अधिनियम के द्वारा केन्द्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गयी। अब विधानमंडल में कुल 69 सदस्य थे, जिसमें से 37 शासकीय सदस्य तथा 32 गैर शासकीय सदस्य थे। ध्यातव्य है कि - शासकीय सदस्यों में से 9 पदेन (Ex-officio) सदस्य थे। प्रान्तीय विधान परिषदों, बम्बई, मद्रास, बंगाल एवं उ०प्र० के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई। छोटे प्रान्तों के लिए यह संख्या 30 कर दी गई। इस प्रकार व्यवस्थापिका-सभाओं (केन्द्रीय तथा प्रांत) के सदस्य चार प्रकार के होने लगे (1) पदेन सदस्य (Ex-Officio Members) जैसे केन्द्र में गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य तथा प्रान्तों में गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य; (2) मनोनीत सरकारी अधिकारी (Nominated offi- cials); (3) मनोनीत गैर-सरकारी सदस्य (Nominated non-offi-cials); और (4) निर्वाचित सदस्य (Eiected members) ।
- • इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Professional and Communal Representative or Separate Electoral System) को अपनाया गया। निर्वाचन के लिए तीन प्रकार के निर्वाचक मण्डल का प्रावधान किया गया; यथा- (i) साधारण (ii) वर्ग विशेष एवं (iii) विशेष।
- मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनायी गयी। * पृथक निर्वाचक मण्डल के बारे में लार्ड मोरले ने लार्ड मिन्टों को लिखा था- हम नाग के दाँत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा।*
- केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि करते हुए सदस्यों को बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछनें का अधिकार प्रदान किया गया। किन्तु उन्हें बजट पर मतदान का अधिकार नहीं था।

- इस अधिनियम के तहत् भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ध्यातव्य है कि इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया।* दो भारतीय के. सी. गुप्ता तथा सैयद हुसैन विलग्रामी को इंग्लैण्ड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया। * जबकि एस०पी० सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया, यह वायसराय की कार्यकारणी में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय थे। जिन्हें बाद में 'लार्ड' की उपाधि से विभूषित किया गया था।
- इस प्रकार "1909 ई० का अधिनियम नरमपंथी राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया था; परंतु वास्तव में इसका उद्देश्य राष्ट्रवादियों को उलझन में डालना, राष्ट्रवादी जमात में फूट डालना तथा भारतीयों के बीच एकता न होने देना था।" मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन एवं विशेष सुविधाएँ देकर अँग्रेज सरकार ने भारत की एकता को खंडित कर दिया। फिर भी उपर्युक्त सुधार सर्वथा बेकार न थे। भारतीयों को संसदीय शासन-व्यवस्था का परिचय इन्हीं सुधारों से प्राप्त हुआ। संसदीय शासन की संस्थाओं को स्थापित करने के पश्चात् उत्तरदायी शासन की स्थापना को रोकना असम्भव था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति और व्यवस्थापिका-सभाओं के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि भी महत्वपूर्ण कदम थे। ये सुधार 'उदार निरंकुशता' (Benevolent Despotism) या 'सहयोग की नीति' (Policy of Association) की चरम सीमा थे।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मोन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)

- भारत सरकार अधिनियम, 1909 भारतीयों के स्वशासन की माँग को पूर्ण न कर सका। साम्प्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से उत्पन्न असंतोष, 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, 1916-17 में प्रकाशित मेसोपोटामियाँ आयोग की रिपोर्ट में अंग्रेजों को भारत में शासन के लिए अक्षम बताया जाना, होमरुल आन्दोलन से भारतीयों में जागृत, राष्ट्रीय चेतना तथा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग की अपेक्षा के मद्देनजर तत्कालीन भारत सचिव 'मोन्टेग्यू' ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमीनियन (स्वशासन) की स्थिति प्रदान करने की बात कही गयी थी।
- इसके पश्चात मोन्टेग्यू भारत आये और गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड तथा अन्य नेताओं से शिमला में विचार विमर्श किया। तदोपरान्त जुलाई 1918 में मोन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित किया। इस संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर ही "भारत शासन अधिनियम, 1919" पारित किया गया। जिसके प्रमुख प्रावधान अधोलिखित थे। यथा-
- इस अधिनियम में सर्वप्रथम 'उत्तरदायी शासन' शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था।

- 1793 से भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व से दिया जाता था। अब यह खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिये जाने का प्रावधान किया गया।
- भारत-परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम - 8 तथा अधिकतम 12 निश्चित की गयी।
- भारत सचिव की सहायता के लिए सर्वप्रथम एक 'हाई कमिश्नर' की नियुक्ति की गयी।
- इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनायी गयी।
- साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिक्खों, ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। *
- इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केन्द्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गयी। * अर्थात् केन्द्रीय विधान परिषद का स्थान 'राज्य परिषद' (उच्च सदन) तथा 'विधान सभा' (निम्न सदन) वाले द्विसदनात्मक विधानमण्डल ने ले लिया। राज्य परिषद (उच्चसदन) के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित तथा शेष नामांकित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। केन्द्रीय विधान सभा में 145 सदस्य थे (NCERT के अनुसार, 144) जिसमें से 104 निर्वाचित तथा शेष नामांकित होते थे। उनका कार्यकाल 3 वर्ष तक था। दोनों की शक्तियाँ समान थी किन्तु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधान सभा को था।
- 1919 ई0 के एक्ट की मुख्य विशेषता प्रान्तों में द्वैध- शासन (Dyarchy) की स्थापना थी। इसके लिए केन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों को पृथक् किया गया था। इसके पश्चात् प्रान्तीय विषयों को पुनः दो भागों में बाँटा गया- (i) सुरक्षित विषय (Reserved Subjects), जैसे- राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि, (IAS:22) और (ii) हस्तान्तरित विषय (Transferred Subjects), जैसे- स्थानीय स्वशासन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि। सुरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी परिषद् (Executive Council) के सदस्यों की सलाह से करता था और हस्तान्तरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मन्त्रियों की सलाह से करता था। ये मन्त्री व्यवस्थापिका-सभा के सदस्यों में से लिये जाते थे और इनसे आशा की जाती थी कि वे उसी के प्रति उत्तरदायी भी होंगे, यद्यपि कानूनी तौर पर उनकी नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार गवर्नर का था। इस व्यवस्था से गवर्नर की कार्यकारिणी भी दो भागों में बँट गयी (1) गवर्नर और उसकी परिषद् (Council), तथा (ii) गवर्नर और भारतीय मन्त्री। इससे प्रान्तीय शासन के दो भाग हो गये। पहला शासन का वह भाग जिसके अधिकार में सुरक्षित विषय थे अर्थात् गवर्नर और उसकी परिषद् जो शासन का उत्तरदायित्वहीन भाग था; और दूसरा शासन का वह भाग जिसके अधिकार में हस्तान्तरित विषय थे, अर्थात् गवर्नर और भारतीय मन्त्री जो शासन का उत्तरदायित्वपूर्ण भाग माना जा सकता था। पहले भाग का व्यवस्थापिका-सभा के प्रति कोई उत्तरदायित्व न था परन्तु दूसरे भाग से आशा की जाती थी

कि वह व्यवस्थापिका- सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। शासन के इसी विभाजन के कारण इस व्यवस्था को द्वैध शासन (Dyarchy) पुकारा गया।

- 1 अप्रैल, 1921 ई0 से द्वैध-शासन बंगाल, मद्रास, मुम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडीसा, मध्य प्रदेश और असोम में आरम्भ किया गया। 1923 में बर्मा विधान परिषद् और 1932 ई0 में जब उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त की स्थापना हुई तब उसे भी द्वैध- शासन में सम्मिलित किया गया।
- ज्ञातव्य है कि द्वैध शासन के जन्म दाता लियोनिल कार्टिस थे। * इन्होंने अपनी पुस्तक 'डायर्की' में द्वैध शासन का वर्णन किया था।
- • इस अधिनियम ने भारत में एक लाक सवा आयोग के गठन का प्रावधान किया तथा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया।
- इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केन्द्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया गया।
- प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में 'सम्पत्ति एवं कर' को आधार बनाया गया।
- भारत सरकार अधिनियम 1935.
- भारत सरकार अधिनियम-1919 में यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जायेगा किन्तु द्वैध शासन की असफलता और भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की माँग के मद्देनजर 10 वर्ष के पूर्व ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 8 नवम्बर, 1927 को किया गया। इसके अन्य सदस्य थे- (i) लार्ड बर्न (ii) एडवर्ड के डागान (iii) बर्नन हार्मशान (iv) सी० आर० एटली (v) जी० आर० लैनफॉक्स तथा (vi) हेम अर्ल कोना। आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। अतः इसे 'श्वेत आयोग' की संज्ञा से अभिहित किया जाता है।
- किसी भारतीय को आयोग में शामिल न किये जाने के कारण उसका व्यापक विरोध हुआ। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन (1927-अध्यक्ष M.N. अन्सारी) में आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 3 फरवरी 1928 को आयोग मुम्बई पहुँचा तथा 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। आयोग केविरोध के बावजूद उसकी अनेक बातों को भारत सरकार ने अधिनियम 1935 में स्थान दिया।
- भारत सचिव लार्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करनें वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संविधानिक मसविदा तैयार करने की चुनौती दिया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए पं. मोतीलाल नेहरु की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरु समिति' गठित किया। नेहरु समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसे नेहरु रिर्पोट के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सिफारिशें थीं- (i) औपनिवेशिक स्वराज, (ii) केन्द्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, (iii) प्रान्तीय स्वतंत्रता, (iv) सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना, (v)

देशी रियासतों को केन्द्र के अधीन लाया जाना, (vi) सम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति तथा (vii) मौलिक अधिकार आदि।

- नेहरु रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री माँग 29 मार्च 1929 को पेश किया। इसके पश्चात ब्रिटेन में 1930 में प्रथम, 1931 में द्वितीय तथा 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, संवैधानिक सुधारों पर विचार हेतु किया गया। अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेतपत्र के माध्यम से नये संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत किया। जिस पर विचार के लिए लार्ड लिनलिथगों की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार विधेयक संसद से पास होने के बाद 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम-1935 बना।
- भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में यह अन्तिम तथा सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ व 14 भाग थे। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है।* इसके प्रमुखउपबन्ध अधोलिखित थे-

अखिल भारतीय संघ की स्थापना

- अधिनियम के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना 11 ब्रिटिश प्रान्तों, 6 कमिश्नरियों तथा उन देशी रियासतों, से मिलकर होना था, जो स्वेच्छा से इसमें शामिल हों (IAS-07)। ब्रिटिश प्रान्तों के लिए संघ में शामिल होना आवश्यक था। किन्तु देशी रियासतों का संघ में शामिल होना स्वैच्छिक था। देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई। अतः यह प्रस्ताव मूर्त रूप न ले सका। यद्यपि अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका किन्तु 1 अप्रैल 1937 को प्रान्तीय स्वायत्तता लागू कर दी गयी।

केन्द्र में द्वैध शासन

- 1919 के अधिनियम द्वारा प्रान्तों में स्थापित द्वैध शासन इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा उसे केन्द्र में लागू किया गया (IAS-04)। इस उद्देश्य से केन्द्रीय प्रशासन के विषयों को 'रक्षित' तथा 'हस्तान्तरित' विषयों में वर्गीकृत किया गया। रक्षित विषयों (प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय व जनजाति क्षेत्र आदि) का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था तथा अपने कार्यों के लिए, भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। हस्तान्तरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी मंत्रीपरिषद की सहायता से करता था जो विधान सभा के प्रति उत्तरदायी थी। इस प्रकार केन्द्रीय कार्यकारिणी के दो भाग थे; (i) गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद तथा (ii) गवर्नर जनरल एवं मंत्री परिषद ।

प्रान्तीय स्वायत्तता

- 'प्रान्तों में स्वायत्त शासन की स्थापना' इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। * विधि निर्माण हेतु वर्गीकृत केन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों में से प्रान्तीय विषयों पर विधि बनाने का

अत्यान्तिक अधिकार प्रान्तों को दिया गया तथा उन पर से केन्द्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। अब प्रान्तों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, न कि गवर्नर जनरल के अधीन।

- संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थित था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। उनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। उसके निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी कौंसिल (Privy council) में की जा सकती थी। 1 अक्टूबर 1937 से यह न्यायालय कार्यरत हो गया। इसे प्रारम्भिक (Origi- nal), अपीलीय (Appellate) एवं परामर्शदात्री (Advisory) क्षेत्राधिकार प्राप्त था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मौरिस ग्वेयर थे। 6 अन्य न्यायाधीशों में दो भारतीय थे। प्रथम जस्टिस एम० आर० जैकेब एवं दूसरा जस्टिस एम० एस० सुल्तान।
- शक्तियों का विभाजन 1935 के अधिनियम द्वारा केन्द्र एवं प्रान्तों के मध्य शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में यथा-(i) संघ सूची (59-विषय) (ii) प्रान्तीय सूची (54 विषय) तथा (iii) समवर्ती सूची (36 विषय) में किया गया था। अवशिष्ट विषयों सहित कुछ आपातकालीन अधिकार वायसराय को सौंपा गया था।
- 11 प्रान्तों में विधान सभा का गठन किया गया। 6 प्रान्तों यथा- बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रान्त, बम्बई एवं मद्रास में द्विसदनीय विधान मण्डल की स्थापना की गयी। उच्च सदन, विधान परिषद एक स्थाई सदन था। निम्न सदन विधान सभा थी।
- इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अन्त कर दिया गया।
- 1937 का विधान सभा चुनाव इस अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप हुआ।
- इस अधिनियम द्वारा 1935 ई. में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तथा दो नए प्रान्त उड़ीसा एवं सिंध का निर्माण हुआ।
- 1935 ई0 के एक्ट द्वारा प्रान्तों में स्वशासन और केन्द्र में द्वैध-शासन की स्थापना की गयी। प्रथम बार सम्पूर्ण भारत के लिए संघ-शासन की स्थापना, जिसमें भारतीय नरेशों के राज्य सम्मिलित थे, एक संघीय न्यायालय की स्थापना, द्विसदनीय प्रणाली, आदि की स्थापना की गयी। परन्तु इसमें अनेक दोष थे। वास्तविकता में व्यवस्थापिका-सभाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। इसी प्रकार भारतीय मन्त्री गवर्नर-जनरल और गवर्नरों के विशेषाधिकारों के कारण अशक्त थे। साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहले की भाँति विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त, उसमें ऐसा कोई प्रबन्ध न था जिससे गवर्नर भारतीय मन्त्रियों की सलाह को मानने के लिए बाध्य होते।

- इस प्रकार प्रान्तीय स्वशासन की स्थापना केवल नाम के लिए थी और एक सीमित क्षेत्र में भी भारतीयों को स्वतन्त्र अधिकार नहीं दिये गये थे। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय नरेशों आदि ने इस व्यवस्था का विरोध किया। इस अधिनियम के बारे में पण्डित नेहरू ने कहा था, "यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है" तथा जिन्ना ने इसे "पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा" कहा था।

1937 का प्रान्तीय चुनाव

- भारत शासन अधिनियम, 1935 के अधीन फरवरी, 1937 में 11 प्रान्तों में प्रान्तीय विधान मण्डलों के चुनाव कराये गये। चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई और उसने कुल 1585 सीटों में से 711 सीटें जीतकर 5 प्रान्तों में (मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रान्त एवं संयुक्त प्रान्त) पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। * वह बम्बई, असम तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बम्बई प्रान्त में कांग्रेस बहुमत के काफी करीब अर्थात् 175 में से 86 सीटें प्राप्त कर सरकारें बनायी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त एवं असम में भी कांग्रेस ने मिली-जुली सरकार बनायी। इस प्रकार कांग्रेस ने अपने पूर्ण बहुमत और मिले-जुले सहयोग के आधार पर कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार गठित हुई। सिन्ध प्रान्त में सरकारीसहयोग एवं गठबंधन से सरकार गठित की गई।
- 1937 में संपन्न प्रांतीय विधान सभा चुनाव में उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रांत) के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई। इस सरकार में मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत एवं विधि तथा न्याय मंत्री के०एन० काटजू थे जबकि वित्त मंत्रालय रफी अहमद किदवई को दिया गया था।
- लगभग 28 माह तक शासन में रहनें के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने 8 प्रान्तों में निम्न दो कारणों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया- (i) बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया था, तथा (ii) कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा तथा युद्धोपरान्त भारत की स्वतन्त्रता की माँग की उपेक्षा की गयी थी। ध्यातव्य है कि कांग्रेस मंत्रिमण्डल द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के पश्चात मुस्लिम लीग ने 22 दिसम्बर - 1939 को 'मुक्ति दिवस' के रूप में मनाया। इसमें उसका साथ डा. अम्बेडकर ने भी दिया था।

अगस्त प्रस्ताव : 1940

- कांग्रेस मंत्रिमण्डल के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट तथा युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकतावश ब्रिटिश सरकार ने लार्ड लिनलिथगो (वायसराय) के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे 'अगस्त प्रस्ताव' कहा जाता है। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि-(i) गर्वनर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जायेगा। (ii) एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जायेगा।

(iii) भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है, और युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जायेगा।

- ज्ञातव्य है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इस पर असंतोष व्यक्त किया।
- कांग्रेस जहाँ भारत की स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं चाहती थी, वहीं मुस्लिम लीग अपनी भारत विभाजन की माँग पर अडिग थी। अतः अगस्त प्रस्ताव असफल रहा।
- कांग्रेस नें अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध से अपने को अलग साबित करनें के लिए 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' आरम्भ किया। इस विचारधारा के पोषक गाँधी जी थे।
- व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम (महाराष्ट्र) से शुरू किया गया। इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोवा भावे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहर लाल नेहरु थे।* इस आन्दोलन को 'दिल्ली चलो' आन्दोलन भी कहा जाता हैं।

क्रिप्स मिशन 1942

- भारतीयों द्वारा अपनी स्वतन्त्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने भारत को स्वतन्त्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला। अब ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारतीयों की मांग को और टाला नहीं जा सकता। अतः तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल ने, युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु 23 मार्च, 1942 को दिल्ली भेजा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पं० जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आजाद थे। * 30 मार्च, 1942 को प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था, कि-
- युद्धोपरान्त नये संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जायेगा।
- प्रान्तों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण की स्वतन्त्रता होगी।
- युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जायेगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा।
- मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने अथवा न करने की स्वतंत्रता होगी।
- नये संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा।
- मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि देश का साम्प्रदायिक आधार पर विभाजन की उसकी माँग नामंजूर कर दी गयी थी। कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया क्योंकि उसमें भारत को टुकडों में बाँटने की सम्भावनाओं के द्वार खोल दिये गये थे तथा सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत भी नहीं थी।

- गाँधी जी ने इस प्रस्ताव को एक "टूटते हुए बैंक के नाम उत्तरदिनांकित चेक" (Post-dated Cheque upon a Crashing Bank) की संज्ञा दिया।
- डा० पट्टाभिसीतारमैया ने इसे 'अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र' कहा।

भारत छोड़ो आन्दोलन : 1942

- क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात कांग्रेस को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है। अतः 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' का प्रस्ताव पारित किया गया। * इस प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुम्बई के प्रसिद्ध ग्वालिया टैंक मैदान पर मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में किया गया। इस अधिवेशन में 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' का प्रस्ताव पं० जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसका सरदार बल्लभभाई पटेल ने समर्थन किया था। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में ही गाँधी जी ने 'करो या मरो' (Do or Die) का नारा दिया। * आन्दोलन की शुरूआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसे 'अगस्त क्रान्ति' भी कहा जाता है।*

वेवेल योजना

- अक्टूबर 1943 में लार्ड लिनलिथगो के स्थान पर लार्ड वेवेल को भारत का वायसराय बनाया गया। वेवेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने तथा अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक विस्तृत योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया, जिसे वेवेल योजना (The Wavell Plan) कहा जाता है। इसकी प्रमुख बातें अधोलिखित प्रकार से थीं। यथा-

  1. केन्द्र में नयी कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जायेगा। परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होगें और प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा।
  2. कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिन्दुओं के बराबर होगी।
  3. कार्यकारणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो शक्ति (Veto Power) की प्रयोग नहीं करेगा।
  4. द्वितीय विश्व युद्धोपरान्त भारतीय स्वयं अपना संविधान बनायेंगे।
  5. भारत छोड़ों आंदोलन के दौरान निरुद्ध सभी नेताओं को रिहा किया जायेगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जायेगा।

शिमला सम्मेलन

- 25 जून से 14 जुलाई, 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया। गाँधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। मुस्लिम

लीग यह चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी जिसें कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। फलतः 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया। क्योंकि इस सम्मेलन में कांग्रेस जहाँ अखण्ड भारत की माँग कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी जिद पर अड़ी रही।

कैबिनेट मिशन, 1946

- द्वितीय विश्वयुद्धोपरान्त, ब्रिटेन में 1945 में हुए आम चुनाव में 'सर क्लीमेट एटली' के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी। 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने 'हाउस ऑफ कामन्स' में यह घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतन्त्र होनें का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक तीन सदस्यीय मिशन, जिसके सदस्य-स्टेफोर्ड क्रिप्स (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष), लार्ड पैंथिक लारेन्स (भारत सचिव) और ए.वी. एलेक्जेंडर (नौसेना मंत्री) थे तथा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, को मार्च 1946 में भारत भेजा। मिशन के अध्यक्ष लार्ड पैंथिक लारेन्स थे। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। 16 मई, 1946 को मिशन ने भारत में तत्काल एक अन्तरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत किया। योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान थे; यथा :
- भारत का एक संघ होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी।
- संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होगी।
- भारत की एकता बनाई रखी जाए। इसके लिए मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया।
- सांविधान सभा का गठन प्रान्तीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा। इसमें प्रान्तीय विधानसभा सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा (न कि वयस्क मताधिकार के आधार पर) किया जायेगा।
- सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जायेगा। * प्रत्येक प्रान्त को उसकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जायेगा। जो वहाँ के प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभक्त होगा।
- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधान मंडल में अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जानें थे। मान्यता प्राप्त समुदाय थे- (i) सामान्य, (ii) मुस्लिम, और (iii) सिक्ख (केवल पंजाब में) समुदाय।
- देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति (जो प्रान्तों से संविधान सभा के लिए चुने गये सदस्यों से गठित होगी) एवं देशी रियासतों की ओर से गठित समिति के बीच पारस्परिक विचार-विमर्श से किया जायेगा।

- संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गयी, जिसमें ब्रिटिश प्रान्तों से 292, देशी रियासतों से 93 तथा चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश प्रान्तों के 296 प्रतिनिधियों (292+4) का समुदाय (सम्प्रदाय) के आधार पर विभाजन इस प्रकार था- (i) सामान्य 213 (ii) मुसलमान 79 तथा (iii) सिक्ख 4 ।
- ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों को तीन भागों यथा- भाग (क), भाग (ख) एवं भाग (ग) में बाँटा गया था। भाग (क) के तहत शामिल प्रान्त थे- मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रान्त (उ० प्र०), बिहार, मध्य प्रान्त तथा उड़ीसा। भाग (ख) के तहत शामिल प्रान्त थे- पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, पंजाब तथा सिन्ध। भाग (ग) के तहत असम तथा बंगाल को रखा गया था।
- प्रान्तों के लिए अलग संविधान के निर्माण का प्रावधान था।
- हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे।

अन्तरिम सरकार का गठन, 1946
(Formation of Interim Government)

- कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त, 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई (UP PCS:22) तथा 2 सितम्बर, 1946 को पं० जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में एक अन्तरिम सरकार गठित हुई। जिसका अध्यक्ष वायसराय वेवेल था जबकि उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू सहित परिषद में कुल 13 सदस्य थे। प्रारम्भ में मुस्लिम लीग अन्तरिम सरकार में शामिल नहीं हुई किन्तु लार्ड वेवेल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गयी। परिषद के तीन सदस्यों- सैयद अली जहीर, शरतचन्द्र बोस तथा सर सफात अहमद खाँ को मंत्रिपरिषद से हटाकर लीग के पाँच प्रतिनिधियों को इसमें शामिल कर लिया गया। जिससे मंत्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या 15 हो गयी। वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि लियाकत अली खाँ को सौंपा गया। लीग का सरकार में शामिल होने का उद्देश्य परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। मुस्लिम लीग के असहयोग एवं विरोधी दृष्टिकोण की वजह से अन्तरिम सरकार एक विफल निकाय साबित हुई। अन्तरिम सरकार के सम्बन्ध में डा. अम्बेडकर ने कहा था कि 'यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं।'